राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	नाथूराम बनाम हरला हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/12/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 08/01/2026 को पेश हो |	
08/01/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि ग्राम घाटा जलधारी, तहसील जमवारामगढ़ में स्थित खसरा नम्बर 53 रकबा 05 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 87 रकबा 04 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 104 रकबा 05 बीघा 14 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 15 बीघा भूमि का वादी रिकार्डेड खातेदार है एवं वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण का कोई लेना-देना नही है | प्रतिवादीगण जबरन वादी की उक्त कब्जे व खातेदारी की भूमि पर कब्जा करना चाहते है | प्रतिवादीगण एक ही परिवार के व्यक्ति है और संख्या में बहुत अधिक है, जबकी वादी अकेला और असहाय काश्तकार है | प्रतिवादीगण 1 लगा. 15 अपनी ताकत और गुंडागर्दी के जोर पर वादी को उसकी वादांकित भूमि से बेदखल कर जबरन उस पर कब्जा करना चाहते है | अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर काउन्टर क्लेम पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 25/04/2017 पारित करते हुये वादी का वाद स्थायी निषेधाज्ञा ख़ारिज फरमा दिया गया एवं प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष निर्णय व डिक्री दिनांक 25/04/2017 के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता उभयपक्षों की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गे | उद्धरित थ्त्यो के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य-सबूत का विस्तृत रूप से परिक्षण/विवेचन किये बगैर ही सरसरी तौर पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते हुये वादी का वाद ख़ारिज करते हुये काउन्टर क्लेम स्वीकार कर दिया गया, जबकि विधि के प्रावधानों के अनुसरण में वाद में तनकीयात कायम कर समस्त साक्ष्य-सबूतों का तनकीवार विस्तृत परिक्षण/विवेचन करते हुये वाद/काउन्टर क्लेम का निस्तारण किया जाना आवश्यक होता है क्युकी कानूनन काउन्टर क्लेम को भी	

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

नाथूराम बनाम हरला

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

नियमित वाद के रूप में ही माना गया है | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 25/04/2017 विधिसम्मत प्रतीत नही होने से निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे वाद एवं काउन्टर क्लेम का बाद सुनवाई उभयपक्षकारान तनकीवार साक्ष्य-सबूत का परिक्षण/विवेचन करते हुये पुन: विधिसम्मत निस्तारण करे | तदनुसार अपील आंशिक स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 08/01/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर